

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/

दिनांक:- / /2025

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री. लक्ष्मण भारती पिता/पत्नि शंकरलाल भारती निवासी.....
सोडर पटवार हल्का सोडर के राजस्व ग्राम सोडर में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की
खाता संख्या 393, 394, 395 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्मन
लक्ष्मण भारती पिता/पत्नि शंकरलाल भारती जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्मन लक्ष्मण भारती का अंकन
राजस्व रिकार्ड में कियो जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। शंकरलाल भारती

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

Shankar Lal
तहसीलदार चित्तौडगढ
जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/351

दिनांक:- / /2025

निमित्त,

पटवार हल्का सोडर

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री. लक्ष्मण भारती पिता/पत्नि शंकरलाल राजस्व
ग्राम सोडर पटवार हल्का सोडर की खाता संख्या 394, 395 में जाति/नाम/जिम्मन लक्ष्मण भारती ST
शंकरलाल दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का सोडर व भू.अ.नि. द्वारा की गई है।
तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम/जिम्मन सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री. लक्ष्मण भारती पिता/पत्नि शंकरलाल की जाति/नाम/जिम्मन लक्ष्मण भारती
शंकरलाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है।
पटवार हल्का सोडर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ